निबंधन संख्या पी0टी0-40

बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

20 ज्येष्ठ 1937 (शo)

(सं0 पटना 658) पटना, बुधवार, 10 जून 2015

जल संसाधन विभाग

अधिसूचना

10 अप्रील 2015

सं0 22/नि0सि0(सम0)–02–11/2013/858––श्री कमलेश्वरी सिंह (आई0 डी0 जे0–5497), सहायक अभियंता, बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल–2, खगड़िया के पदस्थापन के दौरान प्रमंडलान्तर्गत वीरवास स्थल पर बाढ़ अवधि 2013 में कराये गये बाढ़ संघर्षात्मक कार्यों में बरती गयी अनियमितता की जॉच विभागीय उड़नदस्ता से करायी गयी। उड़नदस्ता से प्राप्त जॉच प्रतिवेदन की समीक्षा विभागीय स्तर पर की गयी एवं समीक्षोपरान्त प्रपत्र 'क' में आरोप गठित करते हुए विभागीय पत्रांक 1411 दिनांक 23.09.14 द्वारा श्री सिंह से स्पष्टीकरण पूछा गया। श्री सिंह के विरूद्ध निम्न आरोप गठित किये गयेः–

(1) बोल्डर क्रेटिंग में प्रावधानित बोल्डर क्रेटिंग की मोटाई 0.6 के जगह पर स्थलीय जॉच में 0.48 पाया गया साथ ही लेईंग रजिस्टर के अनुसार कुल निर्गत बोल्डर की मात्रा 19.38 घन मी0 है परन्तु मापपुस्त में बोल्डर की खपत 39.32 घन मी0 दिखाया जाना परिलक्षित करता है कि संवेदक को लाभ पहुॅचाने के लिए बोल्डर क्रेटिंग में अनियमितता बरतते हुए वास्तविक बोल्डर खपत से अधिक मापपुस्त में प्रविष्टि किया गया है।

(2) कनीय अभियंता द्वारा कराये गये बोल्डर क्रेटिंग कार्य की मापी मापीपुस्त में क्रेटिंग का साईज 3mx1.5mx0.6m दर्शाते हुए 30% voids की कटौती कर बोल्डर खपत की मात्रा की गणना की गयी है उसी बोल्डर क्रेटिंग कार्य में 30% काटी गयी voids के स्थान पर कराये गये बोल्डर क्रेटिंग कार्य की मापी 3.1mx1.59mx0.48m दर्ज करते हुए 20% voids बिना कोई औचित्य के काटी गयी है एवं न ही कोई जॉच प्रतिवेदन का उल्लेख किया है जो परिलक्षित करता है कि मनमाने ढंग से voids की कटौती की गयी है जो नियम के विरूद्ध है एवं वास्तविक बोल्डर खपत की मात्रा भी संदिग्ध हो जाता है।

श्री सिंह ने अपने बचाव बयान/स्पष्टीकरण में उल्लेख किया है कि कनीय अभियंता द्वारा ली गयी मापी के अनुसार जो मात्रा आता है वही मात्रा मेरे (सहायक अभियंता) द्वारा वास्तविक मापी के आधार पर भी आता है इसलिए कनीय अभियंता द्वारा ली गयी मापी को काटा नहीं गया एवं मात्रा को रहने दिया गया। जिसके कारण भ्रम हो गया। बोल्डर की खपत 22.68 घन मी0 ही है। इसी मात्रा का अंतिम विपत्र मापपुस्त सं0 1564 में अंकित की गयी है। जो निम्न प्रकार है–

क्र0	संवेदक का नाम	अवधि	मापपुस्त सं0 एवं पृष्ठ संख्या	बोल्डर की मात्रा (घन मी0)
1.	मे0 अरूण प्रसाद	01.08.13 से 13.08.13	1564 पृ0 90 Item No. 14	3.78
2.	मे0 जितेन्द्र कुमार	01.08.13 से 15.08.13	1564 पृ0 75 Item No. 5	3.78
3.	मे0 अरूण प्रसाद	16.08.13 से 31.08.13	1564 पृ0 94 Item No. 7	1.89
4.	मे0 जितेन्द्र कुमार	16.08.13 से 31.08.13	1564 पृ0 79 Item No. 6	1.89
5.	मे0 अरूण प्रसाद	01.09.13 से 15.09.13	1564 पृ0 64 Item No. 8	11.34

कुल – 22.68 घन मी0

बोल्डर क्रेटिंग कार्य खाली सिमेन्ट के बोरा में बालू भरकर नाईलेन क्रेटिंग कर बनाये गये बेडवार वेस के उपर बाक्स बनाकर बोल्डर क्रेटिंग की गयी है। उसका वास्तविक मापी लेकर 20% voids की कटौती की गयी है। उड़नदस्ता द्वारा भी स्थल पर इसकी मापी ली गयी एवं मापपुस्त के अनुसार ही पाया गया। बोल्डर आपूर्ति नहीं ली गयी है। विभागीय बोल्डर 35.20 घन मी0 ढुलाई कर वीरवास स्थल पर स्थानान्तरण किया गया है एवं उसी मात्रा में से 22.68 घन मी0 बोल्डर खर्च करने के बाद 15.52 घन मी0 अवशेष रह गया हैं। संवेदक को अभी तक भुगतान नहीं किया गया है।

श्री सिंह से प्राप्त स्पष्टीकरण/बचाव बयान की समीक्षा सरकार के स्तर पर की गयी। समीक्षा में आरोप सं0–1 के संदर्भ में पाया गया कि मापपुस्त में अंकित Abstract of quantity, अधीक्षण अभियंता द्वारा अनुमोदित परिमाण विपत्र, सामग्री निर्गत पंजी तथा लेईंग रजिस्टर इन चारों अभिलेखों से स्पष्ट होता है कि उक्त स्थल पर वास्तविक रूप से 22.68 घन मी0 बोल्डर क्रेटिंग कार्य कराया गया है अतएव यह मानते हुए कि मापपुस्त सं0 के पृ0 1564 के पेज नं0– 37, 38, 46, 47, 54 एवं 55 पर प्रतिदिन कराये गये बोल्डर क्रेटिंग कार्य का कनीय अभियंता द्वारा अंकित मापी को सहायक अभियंता द्वारा बिना काटे जॉचोंपरान्त मापी अंकित किया गया है, फलस्वरूप अधिक मात्रा परिलक्षित हो रहा है, आरोप सं0–1 प्रमाणित नहीं पाया गया है।

आरोप सं0–2 के संबंध में समीक्षा में पाया गया कि मापी जॉच करने वाले पदाधिकारी यथा सहायक अभियंता एवं कार्यपालक अभियंता द्वारा 20% voids की कटौती करने के औचित्य के संदर्भ में कोई तथ्य बचाव बयान में उल्लेख नहीं किया गया है। मात्र क्रेट के साईज में 3mx1.5mx0.6m के जगह पर 3.1mx1.59mx0.48m मापपुस्त में दर्ज करने के संदर्भ में कहा गया है कि उड़नदस्ता जॉच दल द्वारा ली गयी मापी के अनुरूप है।

उड़नदस्ता जॉच प्रतिवेदन से स्पष्ट है कि स्थलीय जॉच के क्रम में U/S एवं D/S बेडवार की औसल लंबाई क्रमशः 8.25m एवं 11.0m पाया गया है तथा चौड़ाई क्रमशः औसत 3.1+3.2/2 = 3.15 m एवं 3.1m पायी गयी है। क्रेट में भरे बोल्डर की औसत मोटाई 0.48 मी0 पाया गया। उक्त मापी के आधार पर बोल्डर क्रेटिंग कार्य की मात्रा की गणना करने पर बोल्डर क्रेटिंग कार्य का (बिना voids काटे) ग्रौस मात्रा एवं voids काटने के बाद मात्रा निम्नवत होता है –

Gross Qty. - 8.25x3.15x0.48+11x3.10x0.48 = 29.22 घन मी0

20% voids काटने पर Net Boulder Quantity - 29.22x0.8 = 23.376 घन मी0

एवं 30% voids काटने पर Net Boulder Quantity - 29.22x0.7 = 20.454 घन मी0

उड़नदस्ता द्वारा voids की जॉच नहीं की गयी है एवं आरोपित पदाधिकारी श्री सिंह द्वारा भी voids जॉच से संदर्भित कोई अभिलेख उपलब्ध नहीं कराया गया है ऐसी स्थिति में वास्तविक voids की गणना किया जाना संभव नहीं है। श्री सिंह के अनुसार वास्तविक रूप से कराये गये बोल्डर क्रेटिंग कार्य की कुल मात्रा 22.68 घन मी0 बोल्डर को स्वीकार योग्य नहीं माना जाना समीचीन प्रतीत नहीं होता है। अगर बोल्डर क्रेटिंग कार्य में 30% voids माना जाता है तो अनियमित बोल्डर खपत की मात्रा (23.68 – 20.454) = 2.234 घन मी0 होता है एवं 20% voids काटने पर मापपुस्त में दर्शाये गये बोल्डर से (23.326 – 22.68) = 0.716 घन मी0 कम होता है। जहॉ तक इस कार्य में बी0 ए0 वायर क्रेट की खपत का प्रश्न है अभिलेखों तथा मापपुस्त, निर्गत पंजी एवं लेईग रजिस्टर से स्पष्ट है कि कुल 12 अदद बी0 ए0 वायर क्रेट की खपत (3mx1.5mx 0.6 m) की गयी है परन्तु उड़नदस्ता जॉच में ली गयी मापी के अनुसार बी0 ए0 वायर क्रेट की कुल खपत 29.22/2.7=10.82 Nos. होता है। अर्थात कार्य में बी0 ए0 वायर क्रेट की खपत आवश्यकता से अधिक किया गया है

उपर्युक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि बोल्डर क्रेटिंग कार्य एवं बी0 ए0 वायर क्रेट की खपत में अनियमितता बरती गयी है।

इस प्रकार सम्यक समीक्षोपरान्त श्री कमलेश्वरी सिंह, सहायक अभियंता के विरूद्ध आरोप सं0–2 बोल्डर क्रेटिंग कार्य में अनियमितता बरतने का आरोप प्रमाणित होता है।

उक्त प्रमाणित आरोपों के लिए श्री कमलेश्वरी सिंह, सहायक अभियंता, बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल–2, खगड़िया के विरूद्ध निम्न दंड अधिरोपित करने का निर्णय सरकार द्वारा लिया गया है।

1. एक वेतन प्रक्रम पर एक वर्ष तक अवनति।

उक्त के आलोक में श्री कमलेश्वरी सिंह, सहायक अभियंता, बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल–2, खगड़िया को उक्त दंड संसूचित किया जाता है।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
गजानन मिश्र,
विशेष कार्य पदाधिकारी।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 658-571+10-डी0टी0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in